

!! आदेश !!

जनपद चमोली के अन्तर्गत लंगासू-निवाड़ी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 3.09 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 6.180 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्र सं०-08वीं/यू०सी०पी०/०६/७६/२०१७/एफ०सी०/११६४ दिनांक ०६.०९.२०१८ की शर्त सं०-१ के अनुसार उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित लंगासू-निवाड़ी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली ३.०९ है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम उमराकोट ऊर्फ बैडाणू प०वृ० लंगासू तहसील कर्णप्रयाग की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा०सं०-०६ के खसरा सं०-६६६ एवं ६६७ मध्ये कुल रकबा ६.१८ है० भूमि, जो कि उत्तराखण्ड सरकार की नॉनजेडए श्रेणी-९.३.३ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज हैं, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-२१७३/XVIII(II) /२०१२-१८ (१२०) /२०१० दिनांक १७, दिसम्बर २०१२ के अनुसार प्रदान की जाती है।

LAC

(स्वाति एस० भदौरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: ३२११/छब्बीस-१३ (२०१७-२०१८) गोपेश्वर: दिनांक: ०१ फरवरी, २०१९

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
२. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
३. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
४. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
५. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
६. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, कर्णप्रयाग।
७. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
८. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
९. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, गौचर।

अनु०: २९५/१८ वन वि० सं०-०६/७६/२०१७/एफ०सी०/११६४
कार्या प्रती सहायक अभियन्ता (वन वि०) को
सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,
कार्या प्रती अमीन को

जिलाधिकारी,
चमोली।